



नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ४५) काठमाडौं, मंसिर ८ गते २०५२ साल (अतिरिक्ताङ्क ३२ (क))

भाग ३

श्री ५ को सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचना

गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५ को दफा ३ को उपदफा ३.३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले खण्ड ४४, अतिरिक्त-कांक ५२ (ख+१), मिति २०५१।१२।१ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिका सदस्यहरूमा देहायबमोजिम थपघट तथा हेरफेर गरेको छः-

- “(१) उपदफा ३.२.२ को सट्टा देहायको उपदफा ३.२.२ राखिएको छः- ३.२.२ श्री धावा लामा, मकवानपुर - सदस्य
- (२) उपदफा ३.२.५ पछि देहायको उपदफा ३.२.५ क थपिएको छः- ३.२.५ क श्री गणेश लामा, काठमाडौं - सदस्य
- (३) उपदफा ३.२.१० को सट्टा देहायको उपदफा ३.२. १० राखिएको छः- ३.२.१० श्री मार्क तामाङ, धादिङः - सदस्य-सचिव”

आज्ञाले,

विश्वराज रेग्मी

श्री ५ को सरकारको का.मु. सचिव

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



रिपब्लिकन पार्टी

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

(क) ५६ बुधवार (ग) ५४० (ख) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०

६ मार्च

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

कि ५ मार्च ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०

- (१) ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०
- (२) ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०
- (३) ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०
- (४) ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०
- (५) ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०
- (६) ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०
- (७) ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०
- (८) ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०
- (९) ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०
- (१०) ५४० (ग) ५४१ (घ) ५४२ (ङ) ५४३ (च) ५४४ (ज) ५४५ (झ) ५४६ (झ) ५४७ (झ) ५४८ (झ) ५४९ (झ) ५५०

संलग्न

संलग्न

संलग्न

संलग्न

आधिकारिकता मुद्रा विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ

४२६